


कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जि० प० सीकर

क्रमांक :-लेखा/2016-17/4196-4200

दिनांक :-29.09.2016

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा कृषक भ्रमण हेतु वाहन किराये पर लिये जाने हेतु सीमित बोली संख्या 03/2016-17 क्रमांक 4079-84 दिनांक 19.09.2016 आमंत्रित की गई थी। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट जयपुर में 09.11.2016 से 11.11.2016 में कृषकों को भ्रमण करवाने हेतु अधिक वाहन की किराये लेने की आवश्यकता होने से उपापन कमेटी द्वारा खुली बोली प्रक्रिया द्वारा वाहन किराये पर लिये जाने का निर्णय किये जाने से उक्त सीमित बोली 03/2016-17 एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।



(प्रमोद कुमार)
उप निदेशक कृषि (वि०)
जि०प० सीकर

क्रमांक :- 4196-4200

दिनांक :-29.09.2019

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् संयुक्त निदेशक कृषि (वि०) सीकर खण्ड सीकर।
2. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर कृषि निदेशालय राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि सूचना कृषि विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करावें।
3. SPPP.Raj.gov.in पर अपलोड हेतु
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा
5. सक्षित पत्रावली।


(प्रमोद कुमार)
उप निदेशक कृषि (वि०)
जि०प० सीकर